

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस
अपील संख्या एलआरए/12/2018

उनवान


1. पांचू लाल पुत्र उगमा गुर्जर निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. देवकरण पुत्र उगमा गुर्जर निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
2. मोतीराम पुत्र गोकल गुर्जर निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
3. ओमप्रकाश पुत्र रामदेव बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
4. जगदीश पुत्र भागीरथ बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
5. पांचू पुत्र अर्जुन बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
6. मदन लाल आत्मज रामा बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
7. मेवा पुत्र घीसू बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
8. राधेश्याम पुत्र हनुमानदास वैष्णव निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
9. देबी लाल पुत्र बीजू रेगर निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा

रेस्पोंडण्ट


भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाडा



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण
संख्या 11 / 2016 निर्णय एवं दिनांक 29.9.2017

अधिवक्तागण :-

1. श्री शोभागमल कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता
निर्णय

दिनांक 29.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम डियास के निवासी होकर ग्राम डियास के उत्तरोत्तर विकास एवं सार्वजनिक हितार्थ कार्य करने के लिए निहित है। प्रार्थीगण की ओर से बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत प्रतिनिधि के तौर पर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम डियास की आराजी नम्बर 807 में से 0.50 हेक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 18.2.2013 को आवंटन सलाहकार समिति ने मनमाने, अवैध एवं विधिविरुद्ध तरीके से आवंटित कर दी है निरस्त योग्य है। क्योंकि उक्त आवंटित सुदा आराजी भूमि पर ग्राम डियास के अन्य व्यक्तियों के नाजायज कब्जे किये हुए हैं उक्त भूमि आवंटन योग्य न होते हुए भी विपक्षी को आवंटन की गई है जो निरस्त योग्य है क्योंकि आवंटनसुदा भूमि डियास से नाथडियास जाने वाले रास्ते का भूभाग है। आवंटन सलाहकार समिति में राजनैतिक प्रभव का गलत इस्तेमाल करके आवंटन कराया गया जो निरस्त योग्य है। आवंटनी भूमिहीन सद्भावी काश्तकार नहीं है। ग्राम डियास



(Signature)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अधीन प्राधिकारी
भीलवाडा

में पहले से ही पशुओं के लिए चराई हेतु भूमि कम है। अतः विपक्षी को किया गया आवंटन विधि विपरीत होकर निरस्त योग्य है क्योंकि उक्त आराजियात भूमि पर गांवाई पशु चरते हैं। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा एक ही परिवार के सदस्यों को भूमि का आवंटन किया गया है जो सर्वथा गलत होकर अवैध है। आवंटन में आवंटन शर्तों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। आवंटन आदेश पर असहमत होने से किसी मनोनीत सदस्य एवं सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियमों के तहत आवंटन कार्यवाही नहीं की गई है। आवंटन प्राथमिकता को नजरअंदाज किया है। पूर्व से ही आवंटनी के पास सिंचित और असिंचित भूमि उपलब्ध है। पटवारी द्वारा जानबूझकर 0.78 हेक्टेयर होना गलत बताया है।

2. आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 18.2.2013 को लगभग 175 से 200 व्यक्तियों को विभिन्न रकबा आवंटित किया गया इनमें से अधिकांश व्यक्ति हिन्दु सम्मिलित परिवार के व्यक्ति हैं अर्थात् आलोच्य आवंटन एक ही परिवार के कई सदस्यों को किया गया है इस हेतु जो आवंटन सूची कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ने जारी की है उसमें क्रम संख्या 4, 18, 23, 26, 29, 32, 34, 38, 39, 45, 51, 53, 57, 58, 62, 65 में जिन व्यक्तियों को आवंटन करना बताया गया है वे आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं विपक्षी संख्या 1 के साथ साथ उसके भाई निम्बा लाल जो कि हिन्दु सम्मिलित परिवार के सदस्य है, को भी उसी दिन इन्हीं आराजियात से आवंटन किया गया इस प्रकार एक ही परिवार के सदस्यों को किया गया आवंटन सर्वथा गलत होकर अवैध है। उक्त आवंटन में कोई किसी प्रकार की सद्भाविक भूमिहीन कृषक की शर्त की अक्षरतः पालना नहीं की गई। मात्र एक ही राजनैतिक दल में विश्वास रखने वाले अनुयायियों को ध्यान में रख आलोच्य




भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्य अपील प्राधिकारी
 भीलवाड़ा

आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ही राजनैतिक द्वेषता एवं प्रभाव में आकर की गई है। जो विधि के विपरीत होने से सम्पूर्ण आवंटन की कार्यवाही निरस्त योग्य है। अतः ग्राम डियास में इन आवंटितियों को आवंटन की कार्यवाही अवैध एवं विधि विरुद्ध है। यह भी निवेदन किया कि आवंटन करने में आवंटन सलाहकार समिति ने गंभीर त्रुटि की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी आवंटन निरस्त किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की बार-बार जानकारी करने पर बताया गया कि अभी तक निर्णय टंकित नहीं हो पाया है। इसके पश्चात नकल हेतु आवेदन दिनांक 24.11.2017 को पेश किया गया एवं दिनांक 4.12.2017 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।
6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2014 को आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलाण्ट के आवंटन को निरस्त फरमा दिया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के




 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 भीलवाड़ा

यहाँ अपील प्रस्तुत की । जिस पर प्रकरण संख्या एल आर/173/2014 कायम हुए जिसमें दिनांक 14.12.2015 को निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि " वे इस तथ्य की जांच करे कि क्या विवादित भूमि उद्घोषणा से पूर्व अनओक्यूपाईड भूमि थी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के उपरान्त भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उसकी रिपोर्ट का सत्यापन किन कारणों से नहीं किया गया" उक्त बिन्दु पर जांच नहीं कर अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया । जो विधिविरुद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट वक्त आवंटन आवंटन का पात्र था। आवंटन के समय अपीलार्थी के पास सिंचित भूमि को डबल करने पर कुल 0.78 हेक्टेयर भूमि मानकर भूमिहीन श्रेणी में मानते हुए आवंटन किया था। जिसका रकबा 4 बीघा भी नहीं बनता है। उक्त भूमि भी पैतृक भूमि थी जिसमें अपीलाण्ट का हिस्सा बहुत कम था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को भूमिहीन कृषक नहीं मानकर अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया है। जो निरस्त योग्य है।
8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तहसीलदार फुलियाँकला की रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें आवंटित भूमि को काश्त योग्य माना है। उक्त आराजी में पानी की आव नहीं है, न ही नदी या नाला अथवा तालाब होने बाबत कोई रिपोर्ट ही पेश हुई है। उसके बावजूद अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया है।
9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी




किशु
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर कब्जा नहीं होना मानते हुए आवंटन खारिज किया है जबकि प्रार्थीगण/रेस्पोंडेण्ट्स स्वयं द्वारा उनका कब्जा बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया इस कारण उनका कब्जा नहीं होने बाबत मौका पर्चा में उल्लेख था, जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने गलत विवेचन कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोंडेण्ट्स ने ग्राम डियास के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है लेकिन रेस्पोंडेण्ट्स ने ग्राम डियास के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी इस बाबत कोई प्रार्थना पत्र भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोंडेण्ट्स एग्रीवड परशन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेण्ट्स का प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नहीं था। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार होकर सद्भाविक काश्तकार है। अपीलाण्ट के परिवार का भरण-पोषण कृषि भूमि पर निर्भर है। अपीलार्थी ने किसी प्रकार से गलत एवं मिथ्या दुर्यपदेशन कर आवंटन नहीं कराया है। बल्कि सही तथ्यों पर आवंटन कराया है। अपीलार्थी का आवंटित भूमि पर पूर्व से ही कब्जाकाश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा था व अपीलार्थी को आवंटन की पात्रता रखने के कारण वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया है। रेस्पोंडेण्ट्स का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रत्यर्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को रास्ते का भू भाग बताया है एवं दूसरी तरफ वादग्रस्त भूमि पर अन्य लोगों का कब्जा होना बताया है। जो अपने आप में विरोधाभास होकर प्रार्थीगण के कथनों को असत्य साबित




 भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
 मदेन राजस्व अधीन प्राधिकारी
 भीलवाड़ा

करते हैं। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रत्यथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

12. प्रत्यर्थी संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। एक ही दिन में बहुत अधिक व्यक्तियों को अलग-अलग रकबा आवंटित किया गया है जिनकी सभी रिपोर्ट एक ही दिन में बिना मौका देखे बनाई गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

13. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी अपीलार्थी ने आवंटन छल-कपट अथवा मिथ्या दुर्यपदेशन द्वारा आवंटन नहीं कराया है। आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जाकाशत चला आ रहा है। अपीलार्थी भूमिहीन सद्भाविक काशतकार था इस तथ्य की पुष्टि के उपरान्त ही वादग्रस्त भूमि का अपीलाण्ट के पक्ष में आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलिया कलों से वादग्रस्त



कि लु
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 भीलवाड़ा

आराजी बाबत रिपोर्ट तलब की गई। जिसमें अंकित किया गया कि " इस भूमि के आवंटन के संबंध में प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये गये है कि अप्रार्थी के आवंटन प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि उद्घोषणा से पूर्व आवंटित भूमि अनओक्यूपाईड भूमि थी, क्यों कि आवंटन नियमों के अनुसार उद्घोषणा अनओक्यूपाईड भूमि ही आवंटन की जा सकती है । जिसकी जांच करवाया जाना आवश्यक है । इस बिन्दु के संबंध में आप जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि की क्या स्थिति है ? एवं मौके की क्या स्थिति है ? " इस पर तहसीलदार, फूलियाकलों ने अपने पत्र दिनांक 1/2-8-2017 द्वारा यह रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है कि " मौका स्थिति की जांच पटवारी हल्का अरवड से करवाई गई पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम डियास के आराजी नम्बर 807 रकबा 2.28 हे० भूमि जो कि बहाव क्षेत्र में आता है। मौके पर पाल से घिरा हुआ है तथा धारा 16 का उल्लंघन होता है। पानी का बहाव क्षेत्र रूक जाता है। " इस रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि आवंटन किया जाना धारा 16 का उल्लंघन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया । यह भी विचारणीय प्रश्न है कि ऐसी भूमि की आवंटन हेतु उद्घोषणा कैसे कर दी गई ? इससे प्रतीत होता है कि उद्घोषणा से पूर्व मौके पर जाकर रिपोर्ट नहीं की गई थी। जो आवंटन प्रक्रिया को भी संदेहास्पद बनाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।



[Signature]
 भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 भिलवाड़ा

15. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.9.2017 को यथावत रखा जाता है।
16. निर्णय आज दिनांक 29.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

दिनांक 29/8/18

भू प्रबन्ध प्रअधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

